ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292 **PP. NO.- 310-312**
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

अनुसूचित जाति की महिला उत्पीड़न में अभिजात्य वर्ग की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

सत्येन्द्र कुमार
शोध अध्येता –समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 24.07.2020, Accepted - 26.07.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***महिला उत्पीड़न (विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाएँ)– महिला एक समय देवी तरह पूजित हुई है तो दूसरे समय चेरी की भांति प्रताड़ित भी हुई है और समय बदलने के साथ अपने नवीन क्रान्तिकारी रूप में भी आई है। वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को ऊँची उठाने के लिए चाहे कितने भी कदम उठाये गये हों व्यावहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया तथा उनका तिरस्कार, अपमान व प्रताड़ना अभी भी जारी है। महिला उत्पीड़न एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी काल, स्थान और परिस्थितियाँ रही हों, प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव ही दोयम दर्जे की रही है, पुरूष के समक्ष उसे सदैव ही कमजोर और निम्न–स्तर का माना गया है। परन्तु गौरव के इसी इतिहास के पीछे ही नारी के शोषण, अपमान और कष्टों की भी छद्म कथा छुपी हुई है। परन्तु यह भी सत्य है कि नारी चाहे किसी भी वर्ग, जाति या समाज की रही हो अनेकानेक आयामों से उसके उत्पीड़न ओर शोषण का सदैव ही वैध ठहराया गया।***

कुंजीभूत शब्द– प्रताड़ित, क्रान्तिकारी, वैधानिक दृष्टि, कदम, व्यावहारिक दृष्टि, भेदभावपूर्ण, रवैया, तिरस्कार।

महिला उत्पीड़न की बात करे और वह भी भारतीय समाज व्यवस्था के वर्ण/जाति सोपान व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर के जाति समूह की महिलाओं का, तब तो इस बात को सिद्ध करना और भी आसान हो जाता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का व्यापकस्तर पर उत्पीड़न हुआ है। अनुसूचित जाति भारतीय सामाजिक पद सोपान व्यवस्था में निम्न स्तर पर रही है। परम्परागत भारतीय समाज ने संस्तीकरण की जिस परम्परागत व्यवस्था का अनुमोदन किया है उसके द्वारा भारतीय समाज में असमानता ओर विभेदीकरण को संस्थागत तथा वैध स्वरूप प्राप्त हुआ है। जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था समूहों न केवल श्रेणीबद्ध, असमान वर्गों में विभक्त करती है,बल्कि यह व्यवस्था अत्यंत जटिल, जन्म प्रदत्त और सामाजिक धार्मिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त रही है। समाज के निम्न वर्ग जिन्हें शुद्र या आधुनिक काल में अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यह अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताओं की शिकार रही है तथा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक संरचनाओं, परम्परागत आर्थिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उनके शोषण और उत्पीड़न को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। परिणामतः भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त निम्न और असह्य परिस्थितियों में जीवनयापन करता है। शताब्दियों के शोषण, अन्याय और मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक जीवन धारा से पृथकता के कारण अनुसूचित जाति समुदाय के परम्परागत सामाजिक व्यवस्था की असमानता और शोषण को अपने भाग्य और जीवनचक्र का एक आवश्यक अंग मानकर व्यवस्था के प्रति किसी भी प्रकार का आक्रोश या प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा, मौन स्वीकृति को अधिक श्रेयस्कर माना है।

अनुसूचित जाति समूह की महिलाएँ उत्पीड़न की दोहरी व्यवस्था की शिकार रही है, वे केवल महिला होने के कारण वरन् जाति व्यवस्था में निम्नतर स्तर पर होने के कारण सदैव ही समाज द्वारा सतायी जाती रही हैं। जाति व्यवस्था के नाम पर अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक निर्योग्यताओं को झेलने के साथ ही महिला होने के कारण भी वे ऐसी ही अनेकानेक निर्योग्यताओं, बंधनों, निषेधों, शोषण, अपमान और अत्याचारों से जूझती रही है।

जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी जो कल्याणकारी कार्यक्रम ओर योजनाएँ अनुसूचित जातियों के हितार्थ निर्मित की गई उसमें इन महिलाओं को कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया गया और और न ही महिला कल्याण के नाम पर बनाई गई विभिन्न योजनाओं में ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के विशेष हित पर ध्यान दिया गया। फलतः स्वतन्त्रता के 55 वर्षों के बाद भी और महिला कल्याण व अनुसूचित जातियों के कल्याण के विशेष प्रयासों के पश्चात् भी अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और न ही उनके उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी आई है।

महिला उत्पीड़न के प्रभाव– अनुसूचित जाति के महिलाओं के उत्पीड़न का प्रभाव भी शारीरिक, मानसिक

अनुरूपी लेखक

सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक रूप से पड़ता है। शारीरिक रूप से प्रभावों में मानसिक तनाव, निराशा, अवसाद, पागलपन, गंभीर बीमारी, आत्महत्या आदि हैं जबकि आर्थिक प्रभाव, आर्थिक अभाव, आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा, भुखमरी, भिक्षावृत्ति तथा आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाना है। परिवार में महिला को सम्मान न मिलना, सामाजिक निंदा मिलना, सभी व्यक्तियों द्वारा महिला का सार्वजनिक अपमान तथा अनेकानेक सामाजिक नियंत्रकों और निषेधों को पालन करने की विवशता, उत्पीड़न के सामाजिक प्रभावों को व्यक्त करते हैं।

अनुसूचित जाति महिला उत्पीड़न एवं अभिज़ात्य वर्ग की भूमिका– अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न में इसी जाति की अभिजन महिलाओं का उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। महिला अभिजन अभी भी उनके उत्पीड़न के समय उदासीन ही रहती है एवं उत्पीड़ित महिलाओं के लिये कोई प्रयास नहीं करती है, उनकी मदद नहीं करती है। महिला अभिजन का महिला उत्पीड़न में कम महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण यह है कि जब ये उच्च पदों एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेती हैं तो ये अपनी ही जाति की निम्न स्तर वाली महिलाओं से दूरी बना लेती हैं एवं उनके प्रति अपना दायित्व भूल जाती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं में अभिजात्य वर्ग की महिला बहुत कम संख्या में पाई जाती है। अभिजात्य वर्ग में आने वाली महिलाएँ अपने विचारों द्वारा समाज में एक भिन्न स्थान रखती हैं। उनके दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति की महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न अनुचित एवं कष्टप्रद हैं क्योंकि वे स्वयं भी कठिन परिश्रम द्वारा निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी को प्राप्त की है । इस कारणवश निम्न श्रेणी की अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न व प्रताड़ना से पूर्व परिचित होती हैं तथा वे अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रताड़ित करने में अभिरूचि नहीं दर्शाती हैं।

अनुसूचित जाति महिलाएं : योजनाएँ व कार्यक्रम– प्रारंभ से ही अनुसूचित जाति की महिलाओं पर समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा शोषण एवं दबाव रहा है। वे कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। उनपर समाज एवं परिवार का प्रतिरोध बना रहता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के पच्चास वर्षों बाद भी सुधरी नहीं हैं। उनकी स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है। कानून में अधिनियमों के तहत् उन्हें विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएँ, समन्वित विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार कार्यक्रम, ट्राईसेम, हाकरा एवं अनुसूचित जाति महिला कल्याण कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने की भरपूर चेष्टा की जा रही है। उनके लिये शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द् महिला एवं शिशु संरक्षण केन्द्र तथा इन्दिरा आवास योजना आदि।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का उत्पीड़न एवं उनका भविष्य– अनुसूचित जाति की महिलाओं में यदि उत्पीड़न से लड़ने के लिये यदि कोई चेतना जागृत भी हो तो अशिक्षा उनके रास्ते का रोड़ा बन बैठती है । और सबसे बड़ी कठिनाई उनके समाज की है । क्योंकि उनके अनुसूचित जाति में ही स्त्री से संबंधित कूपमंडूकता एवं अनेक भ्रांत धारणायें हैं जो मिटाई नहीं जा सकतीं। अनुसूचित जाति की महिलाओं का उत्पीड़न न हो या उनके उज्जवल भविष्य की यदि कोई कामना भी हो तो सबसे पहले अज्ञानता की बेड़ी ही खत्म नहीं होने देती। आज अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को या उनके भविष्य को सुधारने के लिए अनेक स्वयं सेवी संगठन एवं महिला आन्दोलन, सरकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है परंतु उनका भविष्य तभी उज्जवल बन सकेगा जब नारी के प्रति संकीर्ण मानसिकता को बदल कर स्त्रियों को हम यह एहसास दिला सकेंगे कि सरस्वती, दुर्गा, चंड़ी एवं गार्गी, अपाला तुम्हीं हो, फिर एक बार मिलकर प्रयास करो एवं अपने गरिमामय स्थान को धारण कर अपना भविज्य़ सुंदर बनाओ।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का भविष्य– आज इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने के पश्चात भी भारत में अनेक महिलाएँ आज भी, बाधाओं, वर्जनाओं, वंचनाओं और उत्पीड़न की शिकार हैं। इन वंचनाओं, वर्जनाओं, बाधाओं और उत्पीड़न ने सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी स्थिति को निम्न से निम्नतर बनाया है। महिलाओं को विकास की मूलधारा में सम्मिलित करने, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शौक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से समानता एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराने हेतु अभी तक किये गये प्रावधानों, व्यवस्थाओं, नीतियों, संविधानों संशोधनों, कानूनों योजनाओं कार्यक्रमों आदि के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इनकी गति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसकी गति में तीव्रता लानी होगी। कुछ वर्ष पहले से ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता के बल पर आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही है।

आज विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के भविष्य को सुधारने हेतु किये गये अनेक प्रयासों के बाद भी महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुँच ही जाती है तथा उनका समाज के हर स्तर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उत्पीड़न का धुंआँ दीख ही जाता है और अनुसूचित जाति की महिलाओं में इस उत्पीड़न का रूप और भी विकराल रूप से व्याप्त है। जो आज कम होने की बजाय आग की भांति इनके पूरे समाज को अपनी चपेट में लिये जा रहा है। इस स्थिति पर नियंत्रण कैसे स्थापित किये जायें, इसके लिए सम्पूर्ण समाज को एकजुट होकर विचार करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं का उत्पीड़न एवं उनका भविष्य।
2. अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न—लता, मंजु, 2004, दया पब्लिकेशन
3. भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न – चीलर, मंजुलता, 2010
4. आधुनिकता एवं महिला उत्पीड़न – खाण्डेला, मानचन्द, 2006

*****